

## मध्यप्रदेश में वन-निस्तार सुविधाएं

मध्यप्रदेश में निस्तार की व्यवस्था बहुत पुरानी है। स्वतंत्रता के पूर्व भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में पृथक पृथक ढंग से निस्तार सुविधायें उपलब्ध की जाती थीं। निस्तार व्यवस्था में निरंतर सुधार के लिये समय समय पर विचार किया गया। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल ने इस विषय पर गहन विचार करने के लिये एक मंत्रि-मंडलीय उप-समिति का गठन किया। उपसमिति की सिफारिशों पर निम्न निर्णय लिये गये:-

### 1. बांसों की सुविधा.

ग्रामीण जनता के निस्तार हेतु तथा बसोड़, चौरसियान, फल-उत्पादक, अगरबत्ती निर्माता तथा बीड़ी के चौखट बनाने वालों के लिये निम्न दर एवं मात्रा के अनुसार बांस प्रदाय की व्यवस्था की जावेगी।

(1) निस्तार पाने वाले ग्रामीणों के लिये प्रति परिवार- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 250 बांस तक दिये जायेंगे, एक समय में 125 बांस तक उपलब्ध किये जायेंगे, कूप डिपों से तथा स्थायी डिपों से ये बांस 40 पैसे तथा 60 पैसे क्रमशः प्रति तीन बांस की हिसाब से ग्रामीणों को उपलब्ध होंगे। जो ग्रामीण पूर्व में अपने निस्तार के लिये स्वयं बांस काटकर लाते थे। यह सुविधा अभी भी दी जावेगी और खेड़े वास की रायल्टी 30 पैसे प्रति बांस की दर से जी जावेगी।

(2) बसोड़- प्रत्येक बसोड़ को 1500 बांस प्रति वर्ष दिये जायेंगे। एक समय में 500 बांस तक प्रदाय किये जायेंगे, ये बांस कूप डिपों तथा स्थायी डिपों से विभाग द्वारा काटकर 40 पैसे तथा 60 पैसे प्रति बांस क्रमशः दिये जायेंगे।

(3) चौरसियान- (पान बरेजा)- प्रत्येक पान-बरेजा परिवार को 3000 बांस प्रति वर्ष दिये जायेंगे। यह बांस विभाग द्वारा काटकर स्थायी डिपों से ही 80 पैसे प्रति बांस की दर से दिये जायेंगे।

(4) फल उत्पादक, अगरबत्ती निर्माता तथा बीड़ी के चौखट बनाने वालों के लिये- इनको आवश्यकतानुसार 1 या 2 मीटर लंबाई के टुकड़े वन विभाग के स्थायी डिपो से 175 रुपये प्रति नोशनल टन विकास खण्ड अधिकारी एवं उद्योग विभाग के सहायक संचालक के प्रमाण पत्र पर दिये जायेंगे। एक समय में 6 नोशनल टन (अर्थात् 1 नोशनल टन=2400 मीटर लंबे बांस) दिया जायेगा।

उक्त सुविधायें बांसों की उपलब्धता पर निर्भर रहेगी।

### 2. जलाऊ लकड़ी

जलाऊ लकड़ी ग्रामीणों के दैनिक जीवन में एक मुख्य आवश्यकता है, राज्य के समस्त आरक्षित एवं संरक्षित वनों से गिरी-पड़ी, मरी-सूखी जलाऊ लकड़ी ग्रामीणों को सिरबोझ से निःशुल्क (मुफ्त) लाने की सुविधायें दी गई हैं। उपलब्धता के अनुसार राष्ट्रीयकृत अथवा अराष्ट्रीयकृत समस्त वनों से गाड़ी द्वारा जलाऊ लकड़ी पूर्ववत् लाने की सुविधा रहेगी।

ग्रामीणों के लिये जलाऊ लकड़ी की दरों का निर्धारण

जून, 1974 में शासन ने निस्तार दरों के पुनरावलोकन का निर्णय लिया। इसके फलस्वरूप कई क्षेत्रों में जून, 1974 के बाद जलाऊ लकड़ी की दरें बढ़ा दी गईं। वह वृद्धि कई वर्षों के बाद एकदम होने से ग्रामीणों को असहनीय प्रतीत हुई। इस कठिनाई को दूर करने के लिये अब शासन ने यह निर्णय लिया है कि निस्तार दरें जो मई 1974 में प्रचलित थीं

उनमें 50 प्रतिशत की ही वृद्धि की जावे । परन्तु किसी क्षेत्र में यह दर 3.00 रुपये प्रति बैलगाड़ी से अधिक नहीं होगी । केवल बस्तर तथा कांकेर (भूतपूर्व) के लिये 50 पैसे तथा 1 रूपया निर्धारित की जायेगी ।

ग्रामीणों को चट्टे बनाकर जलाऊ लकड़ी देने की व्यवस्था

जिन क्षेत्रों में विभागीय तौर पर जलाऊ लकड़ी काटकर चट्टे (2 X 1 X 1 मीटर) बनाकर दी जावेगी । वहाँ पुनरीक्षित बैलगाड़ी की दरों में कटाई व चट्टा लगाई व्यय चार रूपया प्रति चट्टा जोड़ा जावेगा । बस्तर जिले के लिये यह कटाई व्यय केवल 3.00 रूपया प्रति चट्टा रखा गया है । एक चट्टे में सामान्यतः एक बैलगाड़ी लकड़ी आती है । जिसका वजन लगभग 12 ½ मन (5 क्विंटल) रहता है जो ग्रामीण निस्तार के लिये ट्रैक्टर ट्राली से जलाऊ लकड़ी लाना चाहेंगे उनके लिये ट्रैक्टर ट्राली की दरें आठ बैलगाड़ी (मरी-गिरी, पड़ी-सूखी) के शुल्क के बराबर मानी जावेगी । इसमें वन मार्ग शुल्क सम्मिलित समझा जावेगा ।

3.जलाऊ लकड़ी की उपभोक्ता (व्यापारिक) दरें

स्थानीय जनता के उपयोग के लिये अथवा बैचने के लिये सिरबोझ से गिरी, पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की दरें निम्नानुसार रहेगी:-

1. ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क (मुफ्त)
2. नगर निगम वाले नगर 20 पैसे प्रति सिरबोझ.
3. नगरपालिका वाले एवं औद्योगिक नगर 15 पैसे प्रति सिरबोझ.
4. अनुसूचित क्षेत्र (नोटिफाईड एरिया) 10 पैसे प्रति सिरबोझ.

नोट:- सायकिल व कावड बोझ की दरें, सिरबोझ की दरों से दुगनी मानी जावेगी ।

जलाऊ लकड़ी के चट्टों की बिक्री

गैर ग्रामीण क्षेत्र के लिये जहाँ राष्ट्रीयकृत अथवा अराष्ट्रीयकृत वनों में विभागीय कटाई चल रही है वहाँ उपभोक्ताओं के उपयोग के लिये अथवा उपभोग के लिये अथवा बैचने के लिये जलाऊ लकड़ी चट्टे बनाकर ही दी जावेगी । बाजार भाव व बाजार से दूरी का ध्यान रखते हुये संबंधित वन संरक्षक अपने अधिकारों द्वारा विभिन्न कूपों से चट्टों की उपभोक्ता दरें निर्धारित करेंगे जिसमें रायल्टी का अंश बाजार भाव से 80 प्रतिशत वसूला जावेगा ।

जलाऊ लकड़ी की पर्याप्त उपलब्धता के लिये वन मंडल अधिकारी पर्याप्त संख्या में कूपों में विभागीय कार्य करवायेंगे ।

काँटे- ग्रामीण निस्तारियों के लिये काँटों की दरें, जो मई 74 में लागू थी वही यथावत् लागू रखी जावेगी । यह दरें राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पृथक पृथक हैं । न्यूनतम दर 40 पैसे तथा अधिकतम दर रूपये 2.25 प्रति गाड़ी है ।

टीप- जो ग्रामीण ट्रैक्टर ट्राली से कांटा लाना चाहेंगे, ट्रैक्टर ट्राली की दरें निस्तार हेतु 6 गाड़ी कांटों के दर के बराबर देय होगी ।इनमें वन मार्ग शुल्क सम्मिलित समझा जावेगा। जिन ग्रामीणों को निस्तार पत्रक अथवा बाजिबुल-अर्ज में सुविधायें प्राप्त हैं, वे तदानुसार रहेगी ।

जून,1974 के पश्चात जलाऊ लकड़ी और काँटों के लिये जो भी संशोधित दरें लगाई गई है वे निरस्त मानी जावेगी ।

उक्त निर्णय तुरन्त अमल में लाने के लिये वन संरक्षको को निर्देशित किया जा रहा है ।

#### निस्तार डिपो का पुनर्स्थापन

निस्तार डिपों की सुविधा पुनर्स्थापित की गई है । वन डिपों से जो इमारती लकड़ी निस्तार हेतु दी जावेगी उस पर केवल 50 प्रतिशत रायल्टी ली जावेगी । कटाई-ढुलाई इत्यादि का वास्तविक व्यय क्रय दरों में जोड़ा जावेगा । इस रियायतों से शासन के राजस्व में कुछ घाटा हो सकता है परन्तु यह परिवर्तन वनों के संरक्षण के हित में है । इस प्रथा से ग्रामीणों को उनके आवश्यकता की लकड़ी रियायती दरों पर उपलब्ध होगी । इस समय निस्तार एवं उपभोक्ता डिपो कुल मिलाकर 1268 है ।